पूर्ण बेंच

पी. सी. जैन, डीएस तेवतिया, के. एस. तिवाना,हरबंस लाल जी. सी. मित्तल, न्यायमूर्ति.

तेज सिंह ,—याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य - *उत्तरदाता।*

1973 की सिविल रिट याचिका संख्या- *1522* ।

20 सितंबर, 1980।

भारत का संविधान *1950 - अनुच्छेद* 226 - *रिट क्षेत्राधिकार (पंजाब और हरियाणा)* नियम 1976 - नियम *32* - नागरिक प्रक्रिया संहिता (*1908* का *वी) - धारा* 141। आदेश *22* नियम 3 और 4 *और आदेश* 23 *नियम* 1 - *परिसीमा अधिनियम (*1963 *का XXXVI) - संहिता के प्रावधान*

सिविल प्रक्रिया संहिता - *क्या अनुच्छेद 226 के* अधीन याचिकाओं पर लागू *होती है - धारा* 141 का स्पष्टीकरण - क्या रिट नियमों *के नियम 32 के* संचालन पर कोई प्रभाव पड़ता *है - रिट याचिका में निर्णय - जब रिट याचिका के रूप में कार्य करता* है - एक शब्द '*अस्वीकृत*' *द्वारा किसी याचिका को खारिज करना - बर्खास्तगी का ऐसा आदेश - क्या कार्रवाई के समान कारण पर बाद में रिट याचिका पर रोक लगाता है - (रिट याचिका के पक्षकार- कानूनी) की मृत्यु मृतक के प्रतिनिधि - चाहे उसे आरोपित किया जाना आवश्यक हो या नहीं।—आदेश* 22 *नियम 3 और 4*— चाहे लागू हो — अनुकरण अधिनियम के प्रावधान — चाहे लागू हों — एक नया याचिका दायर करने की अनुमति के बिना वापस ली गई रिट याचिका — कार्रवाई के उसी कारण पर बाद में रिट याचिका — चाहे *प्रतिबंधित हो— आदेश 23* नियम *1* के प्रावधान — *क्या लागू हो।*

(1) यह व्यवस्था दी गई है कि जिन मामलों पर रिट नियमों द्वारा विशेष रूप से विचार नहीं किया गया है, उनमें सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध, जहां तक उन्हें लागू किया जा सकता है, संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियों पर लागू होंगे;

(दो)संशोधन अधिनियम द्वारा नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 141 में जोड़ा गया स्पष्टीकरण किसी भी तरह से रिट नियमों के नियम 32 के प्रभाव को समाप्त नहीं करता है।

(तीन) कि जब एक रिट याचिका को मौखिक आदेश पारित करके चुनौती देने के बाद खारिज कर दिया जाता है, तो ऐसा निर्णय *किसी अन्य कार्यवाही जैसे मुकदमा, अनुच्छेद 32 के तहत याचिका आदि में* न्यायिक रूप से काम करेगा;

(चार) यदि कोई याचिका केवल किसी अन्य उपाय की उपलब्धता या उसके अनुरूप आधार पर खारिज कर दी जाती है, तो मुकदमे या किसी अन्य कार्यवाही के माध्यम से किसी अन्य उपाय को न्यायिक सिद्धांत के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा :

(पाँच) यहां तक कि ऐसे मामलों में भी जहां याचिका को वैकल्पिक उपाय के आधार पर या उसके अनुरूप आधार पर खारिज कर दिया जाता है, अनुच्छेद 226 के तहत कार्रवाई के उसी कारण पर दूसरी याचिका पर रोक लगा दी जाएगी;

(छः) प्रस्ताव (5) का अपवाद है कि जहां पहली याचिका इस आधार पर खारिज कर दी जाती है कि अधिनियम के तहत वैकल्पिक उपाय का लाभ नहीं उठाया गया है, तो अधिनियम के तहत वैधानिक उपचार का लाभ उठाने के बाद, दूसरी याचिका इस सिद्धांत पर सुनवाई योग्य हो सकती है कि यह अधिनियम के तहत उपयुक्त प्राधिकारी के निर्णय के बाद उत्पन्न कार्रवाई के कारण दायर की गई है;

(सात) कि समान तथ्यों पर और एक ही पक्ष द्वारा कार्रवाई के समान कारण के संबंध में दूसरी याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी, भले ही उसकी पिछली याचिका को एक शब्द 'खारिज' द्वारा निपटाया गया हो;

(आठ) कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही पर लागू होंगे;

(नौ) यह कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश, 23, नियम 1 के प्रावधान रिट कार्यवाही पर लागू होंगे और यह कि एक याचिका जिसे आसानी से वापस ले लिया गया है, उसी तथ्यों पर और कार्रवाई के समान कारण के संबंध में दूसरी याचिका दायर करने पर रोक होगी;

(दस) परिसीमा अधिनियम के प्रावधान रिट कार्यवाही या रिट कार्यवाही में दायर विविध आवेदनों पर लागू नहीं होते हैं। (पैरा 27)।

राम काले बनाम *समेकन के सहायक निदेशक और। दूसरों* 1977 पी.एल.आर. 100 ख़ारिज।

माननीय न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन और माननीय न्यायमूर्ति कुलवंत सिंह टिवाना की खंडपीठ द्वारा 23 नवंबर 1978 *को मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के लिए पूर्ण पीठ को मामला सौंपा गया। माननीय न्यायमूर्ति प्रेम चंद जैन, माननीय न्यायमूर्ति डीएस तेवतिया, माननीय न्यायमूर्ति कुलवंत सिंह टिवाना, माननीय न्यायमूर्ति हरबंस लाल और माननीय न्यायमूर्ति जीसी मित्तल की पूर्ण पीठ ने 20 सितंबर, 1980 को मामले के अंतिम निपटारे के लिए मामले को फिर से डिवीजन बेंच को भेज दिया। माननीय न्यायमूर्ति कुलवंत सिंह तिवाना और माननीय न्यायमूर्ति सुरिंदर सिंह की खंडपीठ ने अंततः 16 मार्च, 1981 को मामले का फैसला किया।*

याचिकाकर्ता की ओर *से वरिष्ठ अधिवक्ता आनंद स्वरूप ने जीएस चावला और एमएल बंसल ने पक्ष रखा।*

गुरबचन सिंह, वकील, प्रतिवादी *नंबर 1 से 3 के लिए।*

जी.एस. ग्रेवाल, अतिरिक्त महाधिवक्ता (पी.), *नंबर 2 के लिए।*

आर. एस. मोंगिया, एडवोकेट, संख्या नंबर 5 के लिए .

निर्णय

प्रेम चंद जैन न्यायमूर्ति.

1. क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान रिट कार्यवाही पर लागू होंगे, यह प्रमुख और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इन मामलों में हमारे निर्धारण के लिए आता है।

2. मैं उन मामलों के तथ्यों का उल्लेख करने का प्रस्ताव नहीं करता हूं जो हमारे समक्ष सुनवाई के लिए रखे गए हैं क्योंकि उपर्युक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ऐसा करना आवश्यक नहीं है और प्रत्येक मामले को पीठ द्वारा अपने स्वयं के तथ्यों पर जाना होगा, जिसके समक्ष मामले वापस चले जाएंगे। उपरोक्त प्रश्न के लिए हमारे द्वारा लौटाए गए उत्तर के प्रकाश में। लेकिन जिन परिस्थितियों में संदर्भ की आवश्यकता थी, उन्हें बताया जा सकता है।

3. 1973 का सीडब्ल्यूपी नंबर 1522 23 नवंबर, 1978 को एक खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया, जब प्रतिवादियों की ओर से एक तर्क दिया गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान रिट कार्यवाही पर लागू होते हैं जैसा कि रिट क्षेत्राधिकार (पंजाब और हरियाणा) नियमों के नियम 32 के तहत प्रदान किया गया है। 1976 (इसके बाद रिट नियमों के रूप में संदर्भित); और यह कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23, नियम 1 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, 1973 का सीडब्ल्यूपी नंबर 1522 सुनवाई योग्य नहीं था क्योंकि कार्रवाई के समान कारण के संबंध में 1973 की पिछली याचिका, सीडब्ल्यू नंबर 1064 को एक नई याचिका दायर करने की अनुमति प्राप्त किए बिना वापस ले लिया गया था। 1979 के एलपीए नंबर 269 में, जो एक अन्य डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए आया था, प्रतिवादियों की ओर से उठाई गई आपत्ति यह थी कि रिट याचिका समाप्त हो गई थी क्योंकि एकमात्र याचिकाकर्ता की मृत्यु हो गई थी और उसके कानूनी प्रतिनिधियों को सीमा की निर्धारित अवधि के भीतर रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया था। दूसरे

शब्दों में, पीठ के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया था कि आदेश 22 के प्रावधान रिट कार्यवाही पर लागू होते हैं।

4. दूसरी ओर, याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता के विद्वान वकील द्वारा अपनाया गया रुख यह था कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान रिट कार्यवाही पर लागू नहीं होते हैं। इस तर्क के समर्थन में पूरी तरह से एक पूर्ण पीठ मामले पर भरोसा किया गया था, जिसका फैसला राम कला बनाम राम कला मामले में तीन विद्वान न्यायाधीशों द्वारा किया गया था । *सहायक निदेशक, समेकन ऑफ होल्डिंग्स, पंजाब, रोहतक और अन्य*[1] बनाम *राम काला* के मामले में यह सवाल उठा कि क्या परिसीमा अधिनियम का अनुच्छेद 137 संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी याचिका में पार्टियों को जोड़ने या प्रतिस्थापित करने के आवेदन पर लागू होता है या नहीं। पीठ के समक्ष दो दलीलें पेश की गईं। पहला तर्क यह था कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में, पार्टियों के नागरिक अधिकार शामिल हैं और नागरिक प्रक्रिया संहिता में निर्धारित प्रक्रिया, जहां तक "इसे उन कार्यवाहियों पर लागू किया जा सकता है जो सिविल कार्यवाही की प्रकृति और संहिता की धारा 141 और संहिता के अन्य प्रावधानों के आधार पर होती हैं। आदेश 22 सहित, ऐसी कार्यवाही पर लागू होता है। पूर्वोक्त तर्क को खारिज करते हुए, यह इस प्रकार देखा गया था:

> "सिविल मामले से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही निस्संदेह सिविल कार्यवाही है, लेकिन अकेले इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता ऐसी कार्यवाही को नियंत्रित करती है। यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता में प्रतिपादित सिद्धांतों पर ध्यान आकर्षित कर सकता है, क्योंकि उसमें निहित सिद्धांत कुल मिलाकर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हैं। फिर भी, यह मामले की परिस्थितियों में त्वरित और प्रभावोत्पादक न्याय प्रदान करने के लिए अपनी प्रक्रिया तैयार कर सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 141 में कहा गया है कि मुकदमों के संबंध में उस संहिता

[1] 1977 पी.एल.आर. 100

में प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, जहां तक इसे लागू किया जा सकता है, सिविल क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय में सभी कार्यवाहियों में, लेकिन इस प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए इस न्यायालय के रास्ते में प्रक्रियात्मक बाधाएं डालने के लिए सेवा में नहीं डाला जा सकता है: उस पाठ्यक्रम को अपनाने से व्यावहारिक रूप से इस अधिकार क्षेत्र का गला घोंट दिया जाएगा।

इसके बाद, कुछ न्यायिक निर्णयों का संदर्भ दिया गया और अंततः इसे निम्नानुसार माना गया -

"सुप्रीम कोर्ट की बाध्यकारी मिसाल और इस न्यायालय में राय की प्रधानता को देखते हुए, हम मानते हैं कि आदेश 22, सिविल प्रक्रिया संहिता, रिट कार्यवाही पर लागू नहीं होती है।

5. पीठ के समक्ष उठाया गया दूसरा विवाद परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के प्रावधानों की प्रयोज्यता से संबंधित था और उस पहलू पर यह निम्नानुसार देखा गया था: –

"जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, यह न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक मुकदमे की सुनवाई नहीं करता है जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। यह स्थापित कानून है कि जब किसी न्यायालय को संसद के किसी अधिनियम के तहत किसी विशेष क्षेत्राधिकार के साथ निवेश किया जाता है, तो उसे उन सभी सहायक कदमों को लेने का अधिकार भी मिलता है जो उस अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने के लिए आवश्यक हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए इस न्यायालय में प्रस्तुत याचिका को आवश्यक रूप से नागरिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक आवेदन के रूप में नहीं माना जा सकता है। यह पूरी तरह से अलग बात है कि इस तरह के आवेदन पर विचार करते समय और निर्णय लेते समय, यह न्यायालय सिविल प्रक्रिया संहिता के सिद्धांतों का उल्लेख कर सकता है जो समानता, न्याय और अच्छे विवेक पर आधारित हैं, लेकिन ऐसा करने में यह न्यायालय शायद ही कभी उक्त संहिता के दंडात्मक प्रावधानों का सहारा लेता है। बस यह देखा जाना है कि क्या इस तरह के आवेदन की मंजूरी

न्याय के अंत को बढ़ावा देगी या नहीं। इसलिए, हमारा विचार है कि परिसीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 137 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए उच्च न्यायालय में दायर आवेदन को नियंत्रित करने के लिए नहीं माना जा सकता है।

6. उपरोक्त दृष्टिकोण की शुद्धता को प्रतिवादियों के विद्वान वकील द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि रिट नियमों के नियम 32 को विद्वान न्यायाधीशों के संज्ञान में नहीं लाया गया था और उस नियम के मद्देनजर, *राम काला* के मामले में लिया गया दृष्टिकोण पुनर्विचार के योग्य है। इस स्थिति में निर्णय के पूर्व भाग में तैयार किए गए प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए एक वृहद पीठ का गठन किया गया है।

7. संविधान के अनुच्छेद 225 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिकाओं की प्रक्रिया के रूप और अन्य विवरणों को विनियमित करने वाले नियम बनाए हैं। रिट नियमावली का नियम 32, जिसके साथ हम संबंधित हैं, निम्नानुसार है -

> "32. उन सभी मामलों में जिनके लिए इन नियमों द्वारा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधान उन परिवर्तनों को लागू करेंगे जहां तक वे इन नियमों के साथ असंगत नहीं हैं।

8. श्री आनंद स्वरूप, वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क, जिसे विद्वान वकील श्री सांघा ने भी अपनाया था, यह था कि अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करने का अधिकार एक संवैधानिक अधिकार है जिसे नियम बनाकर नहीं छीना जा सकता है क्योंकि ऐसे नियम प्रक्रिया निर्धारित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं कि अनुच्छेद 226 के तहत याचिका से कैसे निपटा जाए। दूसरे शब्दों में, विद्वान वकील द्वारा जो तर्क देने की मांग की गई थी, वह यह थी कि जो नियम बनाए गए हैं, वे केवल संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका से निपटने की प्रक्रिया प्रदान करते हैं और ये नियम किसी भी तरह से किसी वादी के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी भी समय और किसी भी समय इस न्यायालय से संपर्क करने के अधिकार

को प्रभावित नहीं करते हैं। विद्वान वकील द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया था कि नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 141 के तहत नागरिक प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा एक स्पष्टीकरण डाला गया है, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि "कार्यवाही" शब्द में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोई कार्यवाही शामिल नहीं है। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 141 निम्नानुसार है -

"141. मुकदमों के संबंध में इस संहिता में प्रदान की गई प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, जहां तक इसे लागू किया जा सकता है, सिविल क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय में सभी कार्यवाही में।

ख़ुलासा। इस धारा में, 'कार्यवाही' शब्द में आदेश IX के तहत कार्यवाही शामिल है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है (संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोई कार्यवाही शामिल है)।

9. जहां तक संशोधन अधिनियम द्वारा धारा में जोड़े गए स्पष्टीकरण का संबंध है, यह देखा जा सकता है कि इसने केवल उस विवाद को शांत किया है जो संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका के लिए प्रयोज्यता के संबंध में "सिविल क्षेत्राधिकार के किसी भी न्यायालय में कार्यवाही" शब्दों की व्याख्या के संबंध में पहले उत्पन्न हुआ था। स्पष्टीकरण को जोड़ने से पहले, एक विचार यह था कि एक रिट कार्यवाही "नागरिक अधिकार क्षेत्र की अदालत" में से एक है और यह धारा ऐसी कार्यवाही पर लागू होती है। अन्य मामलों में यह विचार था कि रिट कार्यवाही एक विशेष प्रकृति की कार्यवाही है और "नागरिक अधिकार क्षेत्र की अदालत" में नहीं है और इसलिए, यह धारा लागू नहीं होती है। एक तीसरा दृष्टिकोण यह भी था कि रिट कार्यवाही दीवानी वाद की प्रकृति की नहीं है और इसके परिणामस्वरूप इस धारा के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सकता है ताकि ऐसी कार्यवाही पर संहिता के प्रावधानों को लागू किया जा सके। जैसा कि पहले देखा गया था, स्पष्टीकरण को जोड़ने से यह प्रश्न तय हो गया है कि धारा में "कार्यवाही" शब्द में संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाही शामिल नहीं है। ,

10. विद्वान वकील श्री आनंद स्वैम्प ने स्पष्टीकरण का लाभ उठाने की कोशिश की है, लेकिन मेरे लिए, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि नए जोड़े गए स्पष्टीकरण की इन मामलों में शामिल बिंदु के निर्णय के लिए कोई

प्रासंगिकता नहीं है। स्पष्टीकरण में केवल यह प्रावधान है कि "कार्यवाही" शब्द में संविधान के अनुच्छेद के तहत कोई कार्यवाही शामिल नहीं होगी। यदि इस न्यायालय ने अनुच्छेद 225 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोई नियम नहीं बनाया होता तो श्री आनन्द स्वरूप के तर्क में कुछ दम होता। लेकिन इस न्यायालय द्वारा वैध रूप से तैयार किए गए रिट नियमों की उपस्थिति में, स्पष्टीकरण अपना बल खो देता है। श्री आनंद स्वरूप द्वारा यह तर्क नहीं दिया गया था और यह सही भी है कि स्पष्टीकरण के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए रिट नियमावली को अस्तित्वहीन माना जाएगा और उसका स्थान ले लिया जाएगा। जैसा कि पहले देखा गया है, धारा 141 के प्रावधान की व्याख्या के संबंध में उत्पन्न विवाद को दूर करने के लिए संसद द्वारा स्पष्टीकरण जोड़ा जाना था, जैसा कि संशोधन अधिनियम, 1976 से पहले था। इस प्रकार, धारा 141 के स्पष्टीकरण के प्रावधान हमारे समक्ष याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता के लिए कोई मदद नहीं करते हैं, न ही यह उनके मामले को आगे बढ़ाता है, न ही यह हमें उस समस्या को हल करने में किसी न किसी तरह से मदद करता है जिसके साथ हम इन मामलों में सामना कर रहे हैं।

11. यह मुझे श्री आनंद स्वरूप के इस तर्क पर लाता है कि एक वादी किसी भी समय और कितनी भी बार इस न्यायालय से उसी राहत के लिए संपर्क करने का हकदार है जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उसे संवैधानिक अधिकार दिया गया है। विद्वान वकील द्वारा इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि इस न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम किसी भी तरह से इस अधिकार को कम या कम नहीं कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, श्री आनंद स्वरूप द्वारा यह तर्क दिया गया था कि जब तक किसी वादी द्वारा दायर याचिका को बोलने का आदेश पारित करके गुण-दोष के आधार पर निपटाया नहीं जाता है, तब तक वादी का अधिकार नहीं छीना जा सकता है, और न ही उसे अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करने से रोका जा सकता है यदि उसकी पिछली याचिकाओं को गुण-दोष के आधार पर विवाद से निपटने के बिना निपटाया जाता है।

12. विद्वान वकील श्री आनंद स्वरूप ने अपने दृष्टिकोण के समर्थन में हमारे समक्ष कुछ मामलों का हवाला दिया

और जिस मुख्य मामले पर भरोसा किया गया वह था *Hoshnak Singh* बहुत। *भारतीय संघ आदि*[2]. उस मामले के तथ्य यह हैं कि अपीलकर्ता होशनक सिंह को गांव दौलतपुर में 321 मानक एकड़ भूमि अर्ध-स्थायी आधार पर आवंटित की गई थी। भारत संघ ने 1243 कनाल 5 मरला भूमि का अधिग्रहण किया जिसमें रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अपीलकर्ता की 15 एकड़ भूमि शामिल थी। इसके बाद, भारत संघ द्वारा और अधिक अधिग्रहण किया गया जिसमें अपीलकर्ता की भूमि भी शामिल थी। पहले दो अधिग्रहणों के मामले में, अपीलकर्ता को नकद मुआवजे का भुगतान किया गया था। तीसरे अधिग्रहण के मामले में जो जुलाई, 1953 में हुआ था। नकद मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया। अपीलकर्ता ने मुआवजे के भुगतान के लिए अधिकारियों से संपर्क किया। इस बीच, विस्थापित व्यक्ति (मुआवजा और पुनर्वास) अधिनियम, 1954 की शुरुआत के बाद, अपीलकर्ता को भूमि का आवंटन जो तब तक अर्ध-स्थायी आधार पर था, स्थायी आधार में परिवर्तित कर दिया गया था। जब अपीलकर्ता उससे ली गई भूमि के लिए मुआवजे की मांग कर रहा था, तो पंजाब के मुख्य निपटान आयुक्त ने 17 मार्च, 1961 को एक आदेश दिया, जिसके तहत विस्थापित संपत्ति विभाग से किए गए एक संदर्भ को स्वीकार कर लिया गया और अपीलकर्ता को 1 मानक एकड़ और 15) इकाइयों के संबंध में प्रदान किए गए स्थायी निपटान अधिकारों को रद्द कर दिया गया। अपीलकर्ता ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर करके उस आदेश की शुद्धता पर सवाल उठाया जिसे खारिज कर दिया गया था। *लिमाइन में;* 22 मार्च, 1961 को। याचिका खारिज होने के बाद, अपीलकर्ता ने वित्तीय आयुक्त से संपर्क किया और उनसे भारत संघ द्वारा अधिग्रहित भूमि के लिए नकद मुआवजे का भुगतान करने का अनुरोध किया। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ भी ठोस नहीं निकला, जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता ने तत्कालीन निपटान आयुक्त के 17 मार्च, 1961 के आदेश को चुनौती देते हुए अधिनियम की धारा 33 के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें अपीलकर्ता को दिए गए स्थायी निपटान अधिकारों को

[2] एआईआर 1979 एससी 1328,

रद्द कर दिया गया था। उस आवेदन को भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद, अपीलकर्ता ने एक रिट याचिका दायर की जिसमें नियम निसी जारी किया गया था और पंजाब सरकार के अवर सचिव द्वारा रिटर्न दाखिल किया गया था। सुनवाई के समय एक आपत्ति उठाई गई थी कि इसी विषय पर आधारित पूर्व याचिका को खारिज किए जाने के मद्देनजर, वर्तमान याचिका को पुनर्विचार के सिद्धांतों द्वारा रोक दिया गया था। *न्यायिकता।* विद्वान एकल न्यायाधीश ने आपत्ति को बरकरार रखा और याचिका खारिज कर दी गई। अपीलकर्ता ने लेटर्स पेटेंट के क्लॉज एक्स के तहत अपील दायर की, लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर भी असंतुष्ट, अपीलकर्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और लिमिन में अपील को खारिज करने वाले लेटर्स पेटेंट बेंच का भी दरवाजा खटखटाया। अपील की सुनवाई के समय, प्रतिवादियों की ओर से उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप के समक्ष रिट याचिका की विचारणीयता के बारे में इसी तरह की आपत्ति उठाई गई थी, लेकिन यह प्रबल नहीं हुई और आपत्ति को खारिज करते समय यह इस प्रकार देखा गया था:

पीठ ने कहा, "पहले की याचिका को एक गैर-भाषण, एक शब्द, आदेश 'खारिज' करके खारिज कर दिया गया था। उच्च न्यायालय देरी या देरी के आधार पर या वैकल्पिक उपचार के आधार पर याचिका को खारिज कर सकता है। वैकल्पिक उपाय का अनुसरण करने के बाद दूसरी याचिका को न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप नहीं रोका जाएगा। अधिक बार अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया जाता है कि उच्च न्यायालय के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करने से पहले, यदि याचिकाकर्ता के पास एक क़ानून के तहत एक वैकल्पिक उपाय है जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा अधिकार का दावा किया जाता है, तो अदालत याचिकाकर्ता से उपाय का उपयोग करने की उम्मीद करती है और ऐसी स्थिति में याचिका को खारिज कर दिया जाता है।

यदि क़ानून के तहत अपील या संशोधन को प्राथमिकता देने के बाद, जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा अधिकार का दावा किया जाता है, अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका दायर की जाती है, इस तथ्य

के बावजूद कि संशोधन या अपील खारिज कर दी गई थी और मूल आदेश, जिसे पहली याचिका में चुनौती दी गई थी, अपीलीय या पुनरीक्षण आदेश में विलय हो गया था, फिर भी, परिस्थितियों में दूसरी याचिका को न्यायिक ता के अनुरूप सिद्धांतों द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा;क्योंकि कार्रवाई का कारण पूरी तरह से अलग है और आदेश का विलय याचिकाकर्ता द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को लागू करने के रास्ते में नहीं आ सकता है।

दरियाओ और अन्य बनाम *उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य*[3] *के प्रमुख मामले में* इस न्यायालय ने कहा कि यदि अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में दायर याचिका को गुण-दोष के आधार पर खारिज नहीं किया जाता है, बल्कि रिट के लिए आवेदन करने वाले पक्ष की नाराजगी के कारण या क्योंकि यह माना जाता है कि पार्टी के पास एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है, तो रिट याचिका को खारिज करना अनुच्छेद 32 के तहत बाद की याचिका पर रोक नहीं होगी। उन मामलों को छोड़कर जहां उच्च न्यायालय द्वारा पाए गए तथ्य स्वयं अनुच्छेद 32 के तहत भी प्रासंगिक हो सकते हैं। यदि किसी रिट याचिका को *खारिज* कर दिया जाता है और इस संबंध में आदेश सुनाया जाता है कि बर्खास्तगी एक बार का गठन करेगी या नहीं, यह आदेश की प्रकृति पर निर्भर करेगा- यदि आदेश गुण-दोष के आधार पर है तो यह एक रोक होगी; यदि आदेश कहता है कि बर्खास्तगी इस कारण से थी कि याचिकाकर्ता दोषी था या उसके पास कोई वैकल्पिक उपाय था, तो यह नहीं होगा। फैसले में दर्शाए गए मामलों को छोड़कर बार। इसके बाद एक अवलोकन आता है जिसे बेहतर ढंग से उद्धृत किया जा सकता है -

पीठ ने कहा, 'अगर मौखिक आदेश पारित किए बिना याचिका खारिज कर दी जाती है तो इस तरह की बर्खास्तगी को न्याय की सीमा पैदा करने के रूप में माना जाना चाहिए.यह सच है कि *प्रथम दृष्टया,* इस संबंध में मौखिक आदेश पारित किए बिना भी बर्खास्तगी से यह स्पष्ट हो सकता है कि न्यायालय ने यह विचार लिया कि ऐसा कोई उप-आदेश नहीं था-

[3] 1962 (1) एससीआर 574।

याचिका में रुख बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन एक मौखिक आदेश के अभाव में यह तय करना आसान नहीं होगा कि न्यायालय के दिमाग में कौन से कारक हैं और इससे यह मानना मुश्किल और असुरक्षित हो जाता है कि इस तरह की संक्षिप्त बर्खास्तगी गुण-दोष के आधार पर बर्खास्तगी है और इस तरह अनुच्छेद 32 के तहत दायर इसी तरह की याचिका के खिलाफ फैसले की सुनवाई पर रोक है।

*   *   *   *   *

यह एक आवश्यक परिणाम के रूप में पालन किया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 226 के तहत एक बाद की याचिका को न्यायिक ता के अनुरूप सिद्धांतों द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा /दरियाओ के *मामले* में इस बिंदु पर लिए गए दृष्टिकोण की पुष्टि करना*; आर.डी. शर्मा* बनाम *भारतीय स्टेट बैंक ने*[4] पुनरुत्थान *की प्रक्रिया के बारे में प्रारंभिक आपत्ति* को नकारात्मक कर दिया था। *इसलिए यह निर्विवाद है कि जहां अनुच्छेद* 226 *के तहत किसी याचिका को बिना किसी मौखिक आदेश के खारिज कर दिया जाता है, इस* तरह की बर्खास्तगी उसी कार्रवाई के कारण पर बाद *की याचिका के लिए न्यायिक दंड का आधार नहीं होगी, खासकर जब इस मामले में तथ्यों पर ऐसा प्रतीत होता है कि याचिका को संभवतः खारिज कर दिया* गया था क्योंकि याचिकाकर्ता के पास संशोधन याचिका के माध्यम से एक वैकल्पिक उपाय था। 1954 अधिनियम की धारा 33 जिसके उपाय का उन्होंने लाभ उठाया और राहत पाने में विफलता के बाद उन्होंने राहत के लिए फिर से उच्च न्यायालय का रुख किया।

13. श्री आनन्द स्वरूप ने पैरा 10 में उपर्युक्त निर्णय में विद्वान न्यायाधीश की टिप्पणियों पर बहुत जोर दिया, जिन्हें मेरे द्वारा रेखांकित किया गया है, यह दिखाने के लिए कि पहली याचिका को अस्वीकार करने को दूसरी याचिका दायर करने में बाधा नहीं माना गया था। विद्वान वकील द्वारा उपरोक्त टिप्पणियों से जो दिखाने का

[4] (1968) 3 एससीआर 31,

इरादा था, वह यह था कि यदि पहले की याचिका को खारिज करना दूसरी याचिका दायर करने पर रोक के रूप में काम नहीं कर सकता है, तो वापस ली गई याचिका को खारिज करना नई याचिका दायर करने पर रोक कैसे हो सकती है-

14. यद्यपि मैंने (होशनक सिंह के मामले में निर्णय का विस्तार से) संदर्भ दिया है, फिर भी मैं देख सकता हूं कि उक्त निर्णय मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए बिल्कुल भी सहायक नहीं है और न ही यह निर्धारित करने के लिए अधिकृत है किसिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान रिट कार्यवाही पर लागू होंगे या नहीं, जबकि इसे अनुच्छेद 225 के तहत इस न्यायालय द्वारा वैध रूप से बनाए गए नियमों के तहत विशेष रूप से प्रदान किया गया है। संविधान का। *होशनक सिंह के मामले में फैसले को पढ़ने से* पता चलता है कि जिस बिंदु पर निर्णय की आवश्यकता थी, वह यह था कि क्या उसी और इसी तरह के तथ्यों पर पहले की याचिका को खारिज करना न्यायिक सिद्धांतों के अनुरूप सिद्धांतों पर दूसरी याचिका दायर करने पर रोक के रूप में काम करेगा*।उस मामले के तथ्यों के आधार पर यह माना गया था कि पहले की याचिका को खारिज करना न्यायिक* कार्यवाही *के रूप में काम नहीं करेगा* क्योंकि पहले की याचिका को खारिज करने को गुण-दोष के आधार पर नहीं माना गया था, बल्कि इस आधार पर लिया गया था कि एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था। यह ध्यान रखना उचित होगा कि *होशनक सिंह* के मामले में उनके लॉर्डशिप द्वारा यह नहीं माना गया था कि उनके लॉर्डशिप के समान सिद्धांतों *को* रिट कार्यवाही में लागू नहीं किया जा सकता है।

15. इसके अलावा, श्री आनंद स्वरूप की यह दलील कि एक वादी अनुच्छेद 226 के तहत कार्रवाई के समान कारण के संबंध में कितनी भी बार इस न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है, यदि उसकी पिछली याचिका को एक शब्द 'खारिज' से निपटा दिया गया है और यह कि याचिका की अस्वीकृति दूसरी याचिका दायर करने पर रोक के रूप में काम नहीं करेगी, फिर से कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं है। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करना आवश्यक नहीं है क्योंकि हमारे पास *कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के कर्मकार मामले में* उच्चतम न्यायालय

का एक आधिकारिक निर्णय है। *कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी बोर्ड और दूसरा*[5] क्या यह इस प्रकार देखा गया है: –

"यह सर्वविदित है कि *न्यायिक* ता का सिद्धांत नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में संहिताबद्ध है, लेकिन यह संपूर्ण नहीं है। धारा 11 आम तौर पर सिविल मुकदमों के संबंध में लागू होती है। लेकिन संहिताबद्ध कानून के अलावा *इंग्लैंड*, भारत और अन्य देशों में न्यायालयों द्वारा विभिन्न अन्य प्रकार की कार्यवाहियों और स्थितियों में लंबे समय से न्यायिक ता का सिद्धांत या न्यायिक *ता का सिद्धांत* लागू किया गया है। सिविल *प्रक्रिया संहिता की धारा 11 के स्पष्टीकरण IV* में रचनात्मक न्याय के नियम को शामिल किया गया है और कई अन्य स्थितियों में भी न केवल प्रत्यक्ष निर्णय के सिद्धांत *बल्कि रचनात्मक* निर्णय के सिद्धांत भी लागू किए जाते हैं- यदि किसी निर्णय या आदेश द्वारा किसी भी मामले को सीधे और स्पष्ट रूप से तय किया गया है, तो निर्णय ^ के रूप में कार्य करता है। और एक ही पक्ष के बीच बाद की कार्यवाही में एक समान मुद्दे के परीक्षण को रोकता है। *न्याय* का सिद्धांत तब भी लागू होता है जब निर्णय और आदेश द्वारा किसी विशेष मुद्दे का निर्णय उसमें निहित होता है, अर्थात, इसे आवश्यक रूप से निहितार्थ द्वारा तय किया जाना माना जाना चाहिए; फिर भी उस मुद्दे पर निर्णय का सिद्धांत सीधे लागू होता है। जब कोई ऐसा मामला जिसे पूर्व कार्यवाही में बचाव या हमले का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया था, तो मुकदमेबाजी की बहुलता से बचने और इसमें अंतिम रूप देने के लिए कानून की नजर में ऐसा मामला रचनात्मक रूप से मुद्दा माना जाता है। इसलिए, निर्णय के अनुसार लिया जाता है। इस मामले में, निस्संदेह, अधिकरण के निर्णय को इस न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका में लगभग सभी आधारों पर चुनौती दी गई थी जो उच्च न्यायालय में थे। इसलिए, इस मामले में रचनात्मक समाधान के सिद्धांतों को लागू करने का कोई सवाल नहीं है । हालांकि, क्या है; यह देखा

[5] ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 1283

जाना चाहिए कि क्या विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के आदेश से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि उक्त याचिका में उत्तेजित सभी मामलों को प्रतिवादी के खिलाफ स्पष्ट रूप से या अंतर्निहित रूप से तय किया गया था। निर्विवाद रूप से कुछ भी स्पष्ट रूप से तय नहीं किया गया था। बर्खास्तगी के आधार या कारणों को इंगित किए बिना बर्खास्तगी के गैर-बोलने वाले आदेश का प्रभाव, आवश्यक निहितार्थ द्वारा, यह तय करने के लिए लिया जाना चाहिए कि यह एक उपयुक्त मामला नहीं था जहां विशेष अवकाश दिया जाना चाहिए। यह कई कारणों से हो सकता है- यह एक या अधिक हो सकता है। यह भी हो सकता है कि अधिनिर्णय के गुण-दोष को ध्यान में रखा गया हो और इस न्यायालय ने महसूस किया कि इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। लेकिन चूंकि आदेश एक मौखिक आदेश नहीं है, इसलिए अपीलकर्ताओं की ओर से दिए गए तर्क को स्वीकार करना मुश्किल लगता है कि यदि यह माना जाना चाहिए कि **निर्णय के** गुण-दोष के संबंध में सभी प्रश्नों का स्पष्ट रूप से निर्णय लिया गया है। एक रिट कार्यवाही एक अलग कार्यवाही है- जो कुछ भी माना जा सकता है वह स्पष्ट रूप से, अंतर्निहित रूप से तय किया गया है; या रचनात्मक रूप से भी, विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए इसे फिर से नहीं खोला जा सकता है। लेकिन *न्यायिक व्यवस्था का तकनीकी नियम,* हालांकि सार्वजनिक नीति पर आधारित एक संपूर्ण नियम है, को एक अलग कार्यवाही में समान मुद्दों के परीक्षण को रोकने के लिए बहुत दूर तक नहीं बढ़ाया जा सकता है, केवल एक अनिश्चित धारणा के आधार पर कि मुद्दों पर फैसला किया जाना चाहिए। न्याय के सिद्धांत को इस हद तक विस्तारित करना सुरक्षित नहीं है कि इसे केवल अनुमान के काम पर पाया जा सके। हमारे दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण ले सकते हैं। मान लीजिए कि किसी आदेश या निर्णय को कई आधारों पर चुनौती देने के लिए एक रिट याचिका उच्च्य न्यायालय में दायर की जाती है। यदि रिट याचिका को मौखिक आदेश द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद खारिज कर दिया जाता है, तो स्पष्ट रूप से यह किसी अन्य कार्यवाही में *न्यायिक* रूप से काम करेगी, जैसे कि वाद, अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 130 उसी आदेश या निर्णय से निर्देशित होता है- यदि रिट याचिका को

दहलीज पर या प्रतियोगिता के बाद मौखिक आदेश द्वारा खारिज कर दिया जाता है, उदाहरण के लिए, केवल किसी अन्य उपाय के आधार पर या किसी वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता के आधार पर, मुकदमा या किसी अन्य कार्यवाही के माध्यम से कानून में खुला एक और उपाय स्पष्ट रूप से न्यायिक सिद्धांत के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा/ निस्संदेह, कार्रवाई के एक ही कारण पर एक ही उच्च न्यायालय में या किसी अन्य में दायर की गई दूसरी रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी क्योंकि एक याचिका को खारिज करना दूसरी रिट याचिका के मनोरंजन में एक बाधा के रूप में काम करेगा। इसी प्रकार, यदि एक रिट याचिका को एक शब्द के आदेश *द्वारा खारिज* कर दिया जाता है, तो दूसरी रिट याचिका विचार योग्य नहीं होगी क्योंकि जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, एक शब्द के आदेश को भी अनिवार्य रूप से यह निर्णय लेने के लिए लिया जाना चाहिए कि यह मामला उच्च न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उसी आदेश या निर्णय से एक और रिट याचिका झूठ नहीं बोलेगी। लेकिन स्थिति काफी अलग है जब एक रिट याचिका को मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना या तो सीमा पर या प्रतियोगिता के बाद खारिज कर दिया जाता है, तो किसी भी मेरिट को आवश्यक रूप से और निहित रूप से तय नहीं माना जा सकता है और मुकदमे या अन्य कार्यवाही के किसी अन्य उपाय को न्यायिक सिद्धांत के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा/

बंसी में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ प्राधिकारी को भी संदर्भ दिया *जा सकता है और दूसरा* बनाम भारतीय *दंड संहिता का उल्लेख किया जा सकता है।अपर निदेशक, होल्डिंग्स समेकन* (5), जिसमें यह इस प्रकार देखा गया है:-

उन्होंने कहा, 'आदेश और आदेश हैं. एक सवाल हमेशा उठता रहेगा कि उच्च न्यायालय ने क्या फैसला किया है और आदेश का क्या प्रभाव है- यदि, उदाहरण के लिए, उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करने से इनकार करता है क्योंकि कानून के तहत खुले सभी उपाय समाप्त नहीं होते हैं, तो उच्च न्यायालय के

आदेश में वह अंतिमता नहीं हो सकती है जिस पर अनुच्छेद विचार करता है। लेकिन आदेश अंतिम होगा यदि किसी न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाया जाता है और उच्च न्यायालय या तो इसे बरकरार रखता है या नहीं। किसी भी मामले में, उच्च न्यायालय में विवाद का अंत में फैसला हो गया है। यह तय करने के लिए कि क्या आदेश उस अर्थ में अंतिम है, हमेशा विवाद में तथ्यों के साथ हर मामले में निर्णय की पुष्टि करना आवश्यक नहीं है, खासकर जहां सवाल अदालत या ट्रिब्यूनल के अधिकार क्षेत्र में से एक है। आदेश अंतिम है या नहीं, इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर नहीं करेगा कि विवाद आखिरकार खत्म होता है या नहीं बल्कि यह कि उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया विवाद आखिरकार खत्म हुआ है या नहीं। यदि ऐसा है, तो आदेश अपील योग्य होगा बशर्ते कि अन्य शर्तें पूरी हों, अन्यथा नहीं।

सुप्रीम कोर्ट रमेश के *मामले*[6] में यह सवाल उठाया गया था कि क्या नागपुर डिवीजन के आयुक्त के पास आई क्लेम ऑफिसर द्वारा आदेशित ऋण के निर्वहन को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र था। इस निर्णय को अनुच्छेद 226 के तहत एक कार्यवाही द्वारा चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने सरसरी तौर पर याचिका को खारिज कर दिया, अर्थात्, यह अधिकार क्षेत्र को बरकरार रखता है और सुप्रीम कोर्ट ने माना कि परिस्थितियों को देखते हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उच्च न्यायालय बोलने का आदेश देता है या नहीं, क्योंकि इस आदेश से इस उच्च न्यायालय ने अंततः अधिकार क्षेत्र के सवाल पर फैसला किया है। चूंकि पारित आदेश सर्वोच्च न्यायालय में अपील के उद्देश्य से अंतिम था, इसलिए यह निर्णय लिया गया कि उच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 133 (1) (ए) और (बी) के तहत प्रमाण पत्र से इनकार करने में गलती की थी।

यह निर्णय हमारे समक्ष विचाराधीन मुद्दे को तय करने के लिए बहुत मददगार है। पहले की रिट याचिका

[6]1966 कुर। एल.जे. 152.

(1965 की सिविल रिट संख्या 2946) के साथ-साथ इस लेटर्स पेटेंट अपील को जन्म देने वाली रिट याचिका (1965 की सिविल रिट संख्या- 3005) में, जिस बात को चुनौती दी गई थी, वह थी प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के अधिकार क्षेत्र में आक्षेपित आदेश देना। पिछली रिट याचिका *3 दिसंबर, 1965 को* लिमिन में खारिज कर दी गई थी, और पिछली रिट याचिका की लिमिन में *खारिज करना* अधिकार क्षेत्र की पुष्टि करने के बराबर था। जहां तक इस न्यायालय का संबंध है, *रमेश के मामले* (सुप्रा) में निर्धारित सिद्धांत पर यह आदेश अंतिम था और इसे या तो पुनर्विचार याचिका के माध्यम से या उच्चतम न्यायालय में अपील दायर करने के लिए कदम उठाकर चुनौती दी जा सकती थी। उसी आधार पर दूसरी याचिका पर विचार करना (इन मान्यता प्राप्त कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार करने के बराबर होगा)।

इस तरह का पाठ्यक्रम न केवल सिद्धांत रूप में बल्कि औचित्य और सार्वजनिक नीति के आधार पर भी गलत होगा, जिसके लिए अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त अपवाद के अधीन, न्यायिक कार्यवाही को अंतिम रूप देने की आवश्यकता होती है, जहां तक उसी न्यायालय का संबंध है। अभ्यास और औचित्य के इन नियमों को 1892 में रानी *बनाम भारत में* लागू किया गया था। *बोमिन के मेयर और न्यायाधीशों*[7] को 1965 में पंजाब एलआरआई 862 द्वारा पृष्ठ 866 पर इस न्यायालय की पीठ द्वारा अनुमोदित किया गया है।

दूसरा मामला जिसका संदर्भ दिया जा सकता है, वह भारत संघ *और अन्य बनाम भारत संघ में* है । *दीवान चंद और अन्य*[8], जिनमें इस दलील के साथ भी निर्णय का प्रश्न उठाया गया था कि रिट याचिकाकर्ता ने आवंटन रद्द करने के आदेश की वैधता को चुनौती दी है और अपनी पूर्व रिट याचिका को खारिज करने के आदेश के कारण इसे रद्द करने के अपने प्रयास में विफल रहा है, को उसी मामले को बार-बार दोहराने की अनुमति नहीं दी जा

[7]1892 2 Q.B. 21.
[8]1978 पी.एल.आर.

सकती है / उस याचिका में विद्वान वकील का तर्क यह था कि पहले की बर्खास्तगी *न्यायाधीन नहीं थी* क्योंकि बर्खास्तगी का पिछला आदेश गुण-दोष के आधार पर नहीं दिखाया गया था - विवाद को खारिज कर दिया गया था और विद्वान ोे ने इस प्रकार टिप्पणी की थी: –

पीठ ने कहा, "दोनों पक्षों के वकील इस बात से सहमत हैं कि पिछली रिट याचिका को खारिज करने के आदेश में एक ही शब्द 'खारिज' शामिल था। श्री चावला के अनुसार, यह नहीं कहा जा सकता है कि यह आदेश गुण-दोष के आधार पर दिया गया है क्योंकि यह बोलने का आदेश नहीं है। तर्क भ्रामक है- यदि यह आदेश रिट याचिकाकर्ता की ओर से की गई फटकार के कारण पारित किया गया था या इस कारण से कि उसके लिए एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध था या इसके अनुरूप आधार पर था, तो आदेश निश्चित रूप से ऐसा कहता- इन बिंदुओं पर उसकी चुप्पी यह दिखाने के लिए निर्णायक है कि बर्खास्तगी का आदेश गुण-दोष के आधार पर दिया गया था। किसी विशेष कारण के अभाव में कि बर्खास्तगी का आदेश तकनीकी खामी या किसी अन्य कारण से दिया गया था, इस तरह की खामी या कारण को इसमें नहीं पढ़ा जा सकता है।

(16) विद्वान वकील श्री आनंद स्वरूप ने हमारा ध्यान दरियाओ और अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की और आकर्षित *किया* । *उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य*[9] जो न्यायिक प्रश्न से निपटने वाला मूल प्राधिकारी है / यह निर्णय विद्वान वकील के लिए बिल्कुल भी सहायक नहीं है। *दरियाओ* के मामले में, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में किए गए समान तथ्यों के आधार पर दायर याचिकाओं के संबंध में न्यायिक निर्णय *पर रोक के प्रश्न* पर विचार किया जा रहा था और श्री आनंद स्वरूप द्वारा इस बिंदु पर बहस की गई है कि यदि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कोई याचिका *लिमाइन में निपटाई जाती है,* एक शब्द 'खारिज' से उच्च न्यायालय में दूसरे याचिकाकर्ता को भरने पर कोई रोक नहीं होगी और इसी

[9]ए.आई.आर. 1961 एस.सी. 1457

तरह के तथ्यों के आधार पर, उनके लॉर्डशिप के सामने कभी सवाल नहीं था।

17. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि *न्यायिक* निर्णय के सिद्धांत केवल तभी आकर्षित होते हैं जब एक रिट याचिका को एक मौखिक आदेश पारित करके चुनौती के बाद खारिज कर दिया जाता है क्योंकि उस स्थिति में निर्णय किसी अन्य कार्यवाही जैसे कि अनुच्छेद 32 के तहत मुकदमा या याचिका आदि में न्यायिक रूप से कार्य करेगा। लेकिन अगर कोई याचिका केवल किसी अन्य उपाय की उपलब्धता या उसके अनुरूप आधार पर खारिज कर दी जाती है, तो मुकदमे या किसी अन्य कार्यवाही के माध्यम से किसी अन्य उपाय को न्यायिक सिद्धांतों के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा / इसके अलावा, जहां किसी याचिका को किसी अन्य उपाय के आधार पर या उसके अनुरूप आधार पर खारिज कर दिया जाता है, तो अनुच्छेद 226 *के तहत कार्रवाई के उसी कारण पर* दूसरी याचिका पर रोक लगा दी जाएगी। लेकिन फिर, यह देखा जा सकता है कि जहां एक याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया जाता है कि अधिनियम के तहत वैकल्पिक उपाय का लाभ नहीं उठाया गया है, तो वैधानिक उपाय का लाभ उठाने के बाद, दूसरी याचिका इस सिद्धांत पर सुनवाई योग्य होगी कि यह कार्रवाई के कारण दायर की गई है जो अधिनियम के तहत उपयुक्त प्राधिकारी के निर्णय के बाद उत्पन्न हुई है। इसके अलावा, समान तथ्यों पर और उसी पक्ष द्वारा कार्रवाई के समान कारण के संबंध में दूसरी याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी, भले ही उसकी पिछली याचिका **को एक शब्द 'खारिज' द्वारा** निपटाया गया हो।

18. मुद्दे पर आते हुए, मैं पाता हूं कि नियम 32, जिसे निर्णय के पहले भाग में पुन प्रस्तुत किया गया है, स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान तब तक लागू होंगे जब तक कि वे नियमों के साथ असंगत नहीं हैं। विशिष्ट नियम को ध्यान में रखते हुए इस बात का कोई लाभ नहीं हो सकता है कि नियम 32 बनाते समय इस न्यायालय का इरादा इस आशय का स्पष्ट था कि सिविल प्रक्रिया संहिता के सभी प्रावधान रिट कार्यवाही पर लागू होंगे, जहां तक उन्हें लागू किया जा सकता है और रिट नियमों के साथ असंगत नहीं हैं। फॉर्म और प्रक्रिया के अन्य विवरणों को विनियमित करने के लिए, नियम तैयार किए जाने

थे। अनुच्छेद 225 के तहत इस न्यायालय में निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए, रिट नियम बनाए गए हैं। नियम बनाते समय, यह न्यायालय नियमों के रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता के कुछ प्रावधानों को फिर से लिख सकता था जो रिट याचिकाओं की प्रक्रिया के फॉर्म और अन्य विवरणों को विनियमित करने के लिए आवश्यक थे- लेकिन अनावश्यक रूप से समय बर्बाद करने के बजाय नियम 32 के नियम को लागू करके नागरिक प्रक्रिया संहिता के सभी प्रासंगिक प्रावधानों को लागू करना उचित समझा गया। यहां यह ध्यान रखना उचित होगा कि श्री आनंद स्वरूप द्वारा यह तर्क नहीं दिया गया था कि यदि संहिता के आदेश 23, नियम 1 या आदेश 22 के समान शर्तों में एक नियम को रिट नियमों में शामिल किया गया था, तो ऐसे नियम को इस आधार पर नजरअंदाज किया जा सकता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत इस न्यायालय में जाने के एक पक्ष के संवैधानिक अधिकार को कम करता है। दूसरे शब्दों में, विद्वान वकील द्वारा यह नहीं कहा गया था कि अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका से निपटने के उद्देश्य से, ऐसे नियम तैयार किए जा सकते हैं जिनका वही प्रभाव हो सकता है जो नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के समान हो सकता है। ऐसा होने पर, मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि रिट नियमावली के नियम 32 के उपबंधों को इस आधार पर कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है कि यदि सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध ों को लागू किया जाता है तो इससे संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस न्यायालय में जाने के किसी व्यक्ति के संवैधानिक अधिकार में कटौती होगी। इसके अलावा, विद्वान वकील का यह तर्क कि नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों को लागू करके, वादी के संपर्क करने के संवैधानिक अधिकार को लागू करके, यह न्यायालय पूरी तरह से अस्थिर है। नियम बनाकर कोई संवैधानिक अधिकार नहीं छीना गया है। उच्च न्यायालय को नियमों को लागू करने का अधिकार है। रिट नियम फॉर्म को विनियमित करते हैं और प्रक्रिया निर्धारित करते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका से कैसे निपटा जाएगा। यदि नियमों की प्रयोज्यता से कोई याचिका सुनवाई योग्य नहीं पाई जाती है, तो यह उचित नहीं हो सकता है कि कुछ संवैधानिक अधिकार छीने जा रहे हैं। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका दायर करने के लिए वादी को उपलब्ध अधिकार और ऐसी याचिका से निपटने के लिए इस न्यायालय की शक्ति के बीच अंतर किया जाना चाहिए। जो

नियम बनाए गए हैं, वे रिट कार्यवाही में इस न्यायालय द्वारा शक्ति के उचित प्रयोग के लिए केवल एक दिशानिर्देश हैं और याचिका दायर करने के अधिकार को नहीं छीनते हैं।

19. मेरे लिए, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रश्न, हालांकि सरल लेकिन कुछ महत्व का है, अनावश्यक रूप से जटिल हो गया है। न्यायालय के पास नियम बनाने की शक्ति है और उसी शक्ति का प्रयोग करते हुए नियम बनाए गए हैं। नियम 32 विशेष रूप से कहता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान, जहां तक वे असंगत नहीं हैं, रिट कार्यवाही के लिए प्रक्रिया के रूप और अन्य विवरणों को विनियमित करेंगे, इस विशिष्ट नियम के परिपे्रक्ष्य में, यह मानने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है कि सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू नहीं होंगे। यदि श्री आनन्द दलदल के तर्क को स्वीकार कर लिया जाता है, तो नियम 32 निरर्थक हो जाएगा। मैं जो दृष्टिकोण अपना रहा हूं उसे *एम आर चवनरायपा* बनाम *तहसीलदार और निर्वाचन अधिकारी, मलूर और एक अन्य मामले में कर्णाटक उच्च न्यायालय के एकमात्र निर्णय से पूर्ण समर्थन मिलता है और*[10] उस उच्च न्यायालय में रिट नियम बनाए गए हैं और उनका नियम 39 (इस न्यायालय के नियम 32 के समान है)। विद्वान न्यायाधीश के समक्ष उपर्युक्त मामले में उठने वाले प्रश्नों में से एक यह था कि क्या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 27 के प्रावधान रिट कार्यवाही पर लागू होंगे या नहीं और मामले के उस पहलू पर विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रकार टिप्पणी की: -

> "इस न्यायालय द्वारा बनाए गए 1977 के रिट कार्यवाही नियम, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका की प्रक्रिया के फॉर्म और अन्य विवरणों को विनियमित करते हुए, पार्टियों पर नोटिस की सेवा को विनियमित नहीं करते हैं। नियमों के नियम 39 द्वारा, नियमों द्वारा विशेष रूप से निपटाए गए मामलों में सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान और जिस हद तक वे आवश्यक हैं, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाहियों पर लागू किए जाते हैं। प्रक्रिया के मामलों में, इस संदर्भ में आवश्यक संशोधन के साथ संहिता में किए गए प्रावधानों पर भरोसा करने की अनुमति है। इसलिए,

[10] ए.आई.आर. 1980, कर्नाटक 72

मेरा विचार है कि सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश, 27 इस न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही पर लागू होता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 27 में, हमें 'रिट याचिका' शब्द को पढ़ना होगा, जहां भी शब्द ('मुकदमा' आता है।

20. उपर्युक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, मैं इस निष्कर्ष से बच नहीं पाता कि जिन मामलों पर रिट नियमों द्वारा विशेष रूप से विचार नहीं किया गया है, उनमें सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध जिस हद तक आवश्यक हैं, संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

21. उपर्युक्त निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद मेरे लिए संहिता के कुछ विशिष्ट उपबंधों, जो रिट कार्यवाहियों पर लागू होंगे, से निपटना मेरे लिए आवश्यक नहीं था; लेकिन राम काला के मामले में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए , जिस पर विशेष रूप से विचार किया जाना है और इस बिंदु को आगे स्पष्ट करने की दृष्टि से मैंने संहिता के कतिपय उपबंधों पर ध्यान देने का निर्णय लिया है। जिसकी प्रयोज्यता रिट कार्यवाही के लिए आकर्षित होगी।

22. आदेश 1, नियम 1 और आदेश 2, नियम, 3 एक से अधिक वादी के शामिल होने की बात और कार्रवाई के कारण। इस न्यायालय में ऐसे मामले उत्पन्न हुए हैं जहां याचिकाएं एक से अधिक याचिकाकर्ता द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई हैं और कार्रवाई के कई अलग-अलग कारणों में शामिल हैं। ऐसे मामलों में पक्षकारों के गलत होने और कार्रवाई के कारणों के आधार पर याचिका की गैर-विचारणीयता का निर्णय उपर्युक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया जाना है। ऐसे मामलों में जहां समान रुचि वाले कई याचिकाकर्ता या उत्तरदाता हैं, आदेश 1, नियम 8 के प्रावधानों का सहारा लिया जा सकता है।

23. अब आदेश 22 का संदर्भ दिया जा सकता है। हमारा ध्यान *राम काला के मामले के* अलावा , कुछ अन्य न्यायिक निर्णयों की ओर दिलाया गया था, जिसमें कहा गया था कि आदेश 22, नियम और 4, रिट कार्यवाही पर लागू नहीं होंगे। लेकिन उन सभी निर्णयों में नियम 32 के प्रावधानों पर विचार नहीं किया गया है और

नागरिक प्रक्रिया संहिता की असंशोधित धारा 141 की व्याख्या पर प्रतिपादित किया गया है। जब एक पक्ष की मृत्यु हो जाती है, तो एक रिट याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती है और मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को वहां लाया जाना चाहिए ताकि अदालत को गुण-दोष के आधार पर याचिका पर सुनवाई करने में सक्षम बनाया जा सके क्योंकि याचिका के लिए एक पक्ष के कानूनी प्रतिनिधियों की अनुपस्थिति में, याचिका पर सुनवाई करने की अनुमति नहीं होगी। गुण-दोष के आधार पर। यदि किसी पक्ष की मृत्यु हो जाती है और कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर नहीं लाया जाता है, तो न्यायालय आवश्यक पक्षों की कमी के कारण उस याचिका को खारिज करने के लिए बाध्य है। अब विचार करने के लिए यह प्रश्न उठता है कि मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए सीमा की अवधि क्या होनी चाहिए क्योंकि छूट का प्रश्न केवल तभी उठेगा जब मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को इस मामले में नहीं लाया जाएगा।

सीमा की अवधि के भीतर रिकॉर्ड। दूसरे शब्दों में, यह देखा जाना चाहिए कि क्या मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड में लाने के लिए आदेश 22 के तहत दायर आवेदनों से निपटने के दौरान परिसीमा अधिनियम के प्रावधान को भी लागू किया जाएगा? मेरे विचार में, उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। नियम 32 ही लागू होता है | नागरिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान। ऐसा कोई नियम नहीं है जो परिसीमा अधिनियम के प्रावधान की प्रयोज्यता प्रदान कर सके। जहां तक रिट कार्यवाही का संबंध है, इसमें कोई लाभ नहीं हो सकता है कि परिसीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं और न ही उन्हें लागू किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका एक मुकदमा नहीं है और यह एक याचिका या आवेदन भी नहीं है जिस पर परिसीमा अधिनियम लागू होता है। यदि रिट याचिकाओं पर परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों की प्रयोज्यता के संबंध में कानून की ऐसी स्थिति है, तो रिट याचिकाओं में दायर विविध आवेदनों पर भी यही सिद्धांत लागू होगा, इसलिए, यह इस प्रकार है कि परिसीमा अधिनियम का प्रावधान मृतक के कानूनी प्रतिनिधियों को रिकॉर्ड पर लाने के लिए आदेश 22 के तहत दायर आवेदन पर लागू नहीं होगा।

24. अब सवाल यह उठता है कि आदेश 22 के तहत दायर आवेदन से निपटने के दौरान किन बातों या कारकों

को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर बहुत सरल है, अर्थात्, अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका से निपटने के दौरान जो भी विचार किए जाते हैं, उन्हें आदेश 22 के तहत एक आवेदन पर निर्णय लेने के लिए विज्ञापन दिया जाएगा। रिट याचिकाओं को भरने के लिए कोई अवधि इंगित नहीं की गई है जिसे कार्रवाई की अंतिम सीमा माना जा सकता है। कोई निचली सीमा नहीं है और न ही कोई ऊपरी सीमा है और आम तौर पर प्रत्येक मामले को अपने स्वयं के तथ्यों के आधार पर आंका जाता है और यदि यह पाया जाता है कि कोई पक्ष परिहार्य देरी का दोषी रहा है, तो उस आधार पर न्यायालय अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने से इनकार कर देता है। आदेश 22 के तहत एक आवेदन से निपटने के दौरान इन्हीं कारकों को ध्यान में रखा जाएगा। जब भी कोई याचिकाकर्ता/आवेदक यह संतुष्ट करने में सक्षम होता है कि एक आवेदन उचित समय के भीतर दायर किया गया है और किसी भी अनावश्यक देरी से बचा गया है, तो वह एक अनुकूल आदेश का हकदार होगा। यदि यह पाया जाता है कि याचिकाकर्ता/आवेदक मुकदमे का दोषी है, तो आवेदन अस्वीकार किए जाने के योग्य होगा। जैसा कि पहले कहा गया है, प्रत्येक मामले को अपने स्वयं के तथ्यों पर देखना और न्याय करना होगा- मामले के इस दृष्टिकोण में, मैं यह मानने के लिए विवश हूं कि राम कला के मामले में लिया गया दृष्टिकोण कि सिविल प्रक्रिया संहिता का आदेश 22 रिट कार्यवाही पर लागू नहीं होता है, सही नहीं है।

25. यह मुझे संहिता के आदेश 23 नियम 1 के प्रावधानों पर लाता है। जैसा कि श्री अनाना स्वरूप के तर्क में आया है, इस प्रावधान की प्रयोज्यता को केवल इस दलील पर टाला जाना चाहिए कि जिस याचिका को वापस ले लिया गया है, वह दूसरी याचिका दायर करने पर रोक नहीं लगा सकती है क्योंकि जिस याचिका को वापस ले लिया जाता है, उसमें विवाद के गुण-दोष पर गौर नहीं किया जाता है; लेकिन विद्वान वकील का यह दृष्टिकोण बिना किसी योग्यता के है। यह सही है कि जिस याचिका को वापस लिया गया है, उसमें विवाद के गुण-दोष पर गौर नहीं किया गया है, लेकिन यह तथ्य अपने आप में एक वादी को आदेश 23 नियम 1 के प्रावधानों के मद्देनजर अपनी दूसरी याचिका के मनोरंजन का दावा करने का अधिकार नहीं देगा,

जो नियम 32 के आधार पर रिट कार्यवाही पर लागू होता है। यह देखा जा सकता है कि आदेश 23 नियम 1 के प्रावधानों की प्रयोज्यता का बहुत ही वैधानिक प्रभाव होगा क्योंकि यह इस न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग की संभावना को काफी हद तक कम कर देगा। इस मुद्दे को और स्पष्ट करने के लिए, मैं एक उदाहरण लेता हूं। एक वादी इस न्यायालय में एक याचिका दायर करता है जो सुनवाई के लिए आता है। बहस के दौरान एक धारणा बनाई जाती है कि पीठ सहमत नहीं है और याचिका खारिज होने की संभावना है और उस धारणा के आधार पर याचिका को वापस ले लिया जाता है। इसके बाद, उन्हीं तथ्यों पर और कार्रवाई के उसी कारण के संबंध में एक दूसरी रिट याचिका दायर की जाती है। अब ऐसे मामले में, यदि श्री आनंद स्वरूप की दलील स्वीकार कर ली जाती है, तो दूसरी रिट याचिका पर विचार किया जाना चाहिए और मौखिक आदेश पारित करके किसी न किसी तरह से गुण-दोष के आधार पर उसका निपटान किया जाना चाहिए। यदि इस तरह का रास्ता अपनाया जाता है, तो मेरी राय में, न केवल न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, बल्कि एक बेईमान और बेईमान वादी को अपने प्रतिद्वंद्वी को परेशान करने का मौका भी मिलेगा।

26. आदेश 23 नियम 1 के प्रावधानों की प्रयोज्यता से, वादी के किसी भी संवैधानिक अधिकार को नहीं छीना जा रहा है। एक वादी को अपनी याचिका वापस लेने का अधिकार है; लेकिन यदि वह कार्रवाई के उसी कारण पर एक नई याचिका दायर करना चाहता है, तो न्यायालय की अनुमति लेनी होगी, और उस उद्देश्य के लिए, उचित कानूनी नींव रखी जानी चाहिए।

27. मेरी पूर्वोक्त चर्चा के परिणामस्वरूप, मैं इस पर आता हूं।

निम्नलिखित निष्कर्ष :-

(एक) कि जिन मामलों पर रिट नियमों द्वारा विशेष रूप से विचार नहीं किया गया है, उनमें सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंध, जहां तक उन्हें लागू किया जा सकता है, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कार्यवाहियों पर लागू होंगे।

(दो) संशोधन अधिनियम द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 141 में जोड़ा गया स्पष्टीकरण किसी भी तरह से रिट नियमों के नियम 32 के प्रभाव को समाप्त नहीं करता है।

(तीन) यह कि जब किसी रिट याचिका को मौखिक आदेश पारित करके चुनौती देने के बाद खारिज कर दिया जाता है, तो ऐसा निर्णय किसी अन्य कार्यवाही जैसे मुकदमा, अनुच्छेद 32 के तहत याचिका आदि में न्यायिक रूप से काम करेगा।

(चार) यदि किसी याचिका को केवल किसी अन्य उपाय की उपलब्धता या उसके अनुरूप आधार पर खारिज किया जाता है, तो मुकदमे या किसी अन्य कार्यवाही के माध्यम से किसी अन्य उपाय को न्यायिक सिद्धांत के आधार पर प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा।

(पाँच) ऐसे मामलों में जहां याचिका को वैकल्पिक उपाय के आधार पर या उसके अनुरूप आधार पर खारिज कर दिया जाता है, अनुच्छेद 226 के तहत कार्रवाई के उसी कारण पर दूसरी याचिका पर रोक लगा दी जाएगी।

(छः)प्रस्ताव (5) का अपवाद है कि जहां पहली याचिका इस आधार पर खारिज कर दी जाती है कि अधिनियम के तहत वैकल्पिक उपाय का लाभ नहीं उठाया गया है, तो अधिनियम के तहत वैधानिक उपाय का लाभ उठाने के बाद, दूसरी याचिका इस सिद्धांत पर सुनवाई योग्य हो सकती है कि यह अधिनियम के तहत उपयुक्त प्राधिकारी के निर्णय के बाद उत्पन्न कार्रवाई के कारण दायर की गई है।

(सात) समान तथ्यों पर और एक ही पक्ष द्वारा कार्रवाई के समान कारण के संबंध में दूसरी याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी, भले ही उनकी पिछली याचिका को एक शब्द 'खारिज' द्वारा निपटाया गया हो।

(आठ) **कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 के प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत**

कार्यवाही पर लागू होंगे।

(नौ) सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23, नियम 1 के वे प्रावधान रिट कार्यवाही पर लागू होंगे और यह कि एक याचिका जिसे आसानी से वापस ले लिया गया है, उसी तथ्यों पर और उसी कारण के संबंध में दूसरी याचिका दायर करने पर रोक होगी।

(दस) यह कि परिसीमा अधिनियम के प्रावधान रिट कार्यवाही, या रिट कार्यवाही में दायर विविध आवेदनों पर लागू नहीं होते हैं।

(28) मामले को अब पीठ के समक्ष अंतिम निपटान के लिए रखा जाएगा।

डी.एस. तेवतिया न्यायमूर्ति -मैं सहमत हूँ

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

चिनार बाग़ला

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चंडीगढ़ न्यायिक अकादमी